प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
10.09.2024 / प्रादेशिक समाचार / 18:00बजे

प्वाइंट ऑफ आर्डर

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में बेतरतीब तहबाजारी की समस्या से निपटने के लिए स्ट्रीट वैंडर्स समिति बनाएगी। शिमला में आयोजित विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन आज सदन में विधायक हरीश जनारथा द्वारा संजौली में अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद के खिलाफ लोगों के आक्रोश पर उठाए गए प्वाइंट ऑफ ऑर्डर का जवाब देते हुए उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्ट्रीट वैंडर्स समिति बनाने के लिए विधानसभा की एक कमेटी या कैबिनेट की सब कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में अधिकारियों के अलावा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के विधायकों को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई स्ट्रीट वेंडर नीति में तहबाजारियों की बैकग्राउंड जांचने के बाद ही उन्हें लाइसेंस जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल में शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व का इतिहास रहा है और हम समाज के हर वर्ग का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि मस्जिद मामले में कानून अपना काम करेगा और अगर कुछ अवैध हुआ है तो नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में हर किसी को कहीं भी काम करने का अधिकार है और हिमाचल एक शांतिपूर्ण राज्य है, जहां हर कोई पूर्ण सांप्रदायिक सद्भाव में रहता है और सभी धर्मों व आस्थाओं का सम्मान करता है।

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि किसी भी तरह के धरने या विरोध प्रदर्शन से सख्ती से निपटा जाना चाहिए, ताकि कानून–व्यवस्था की समस्या पैदा न हो। वहीं, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि संजौली क्षेत्र में मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ लोगों का आक्रोश पूरे राज्य में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल के दौरान बाहरी लोगों के सत्यापन और पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। जयराम ठाकुर ने कहा कि देश का हर नागरिक हिमाचल आ सकता है, लेकिन जिस तरह से राज्य में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है, जिनका इतिहास सत्यापित नहीं है, वह चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि संजौली में हुए प्रदर्शन में न तो भाजपा और न ही कांग्रेस समर्थक जुड़े थे, क्योंकि यह जनता की भावनाओं और आक्रोश का परिणाम था। उन्होंने कहा कि संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण एक समुदाय की भावना से जुड़ा है और सरकार इसे हलके में न ले। ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हिमाचलियों के लिए एक नई वैंडर नीति बनाई जानी चाहिए। साथ ही हिमाचल प्रदेश के बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को सत्यापन के बाद ही लाइसेंस दिया जाना चाहिए।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार प्रदेश में एक भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं रहने देगी। यह सरकार की वचनबद्धता है। मुख्यमंत्री आज विधानसभा में विधायक अनुराधा राणा द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम उठाए गए मुद्दे पर हुई चर्चा के दौरान बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गुणात्मक शिक्षा की दिशा में गंभीरता से सुधार कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में देश में 21वें स्थान पर पहुंच गया है, जो सही नहीं है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार जल्द ही स्पीति में बोर्डिंग स्कूल की शुरूआत करने जा रही है। इससे पूर्व, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि विद्यार्थियों की कम संख्या वाले स्कूलों का अन्य स्कूलों में विलय सरकार का साहसिक निर्णय है और इसके लिए मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में दो दशक में विद्यार्थियों के एनरोलमेंट में भारी कमी आई है। रोहित ठाकुर ने कहा कि स्कूलों का विलय सिर्फ हिमाचल में नहीं हो रहा है, बल्कि पूरे देश में इस तरह का निर्णय लिया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि लाहौल–स्पीति में 12 प्राइमरी और एक मिडल स्कूल का अन्य स्कूलों में विलय हुआ है।

विधेयक पारित

प्रदेश सरकार ने राज्य के घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं को एक और बड़ा झटका दिया है। इस संबंध में आज सदन ने हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2009 के संख्यांक 13 का और संशोधन करने के लिए लाए गए विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद बिजली उपभोक्ताओं पर दूध उपकर और पर्यावरण उपकर लगेगा। इसका असर प्रदेश के सभी वर्गों के बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। संशोधनों को उचित ठहराते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने पहले शराब पर लगाए गए दूध उपकर से एक सौ 30 करोड़ रुपये कमाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अब सरकार आम आदमी पर बोझ डाले बिना राजस्व बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादकों की आर्थिकी को मजबूत करने और किसानों के उत्थान के लिए बिजली पर दूध उपकर लगाया जा रहा है।

———————————